प्रसार भारती
भारत का लोक सेवा प्रसारक
एच.पी.टी. आकाशवाणी
मलाड प मुंबई – 95

सं_–एचपीटी मलाड /29(2) /2022–23 /जी / 128 दिं –20 / 10 / 2022

टेंडर नोटिस

दिं–10.11.2022 से 09.11.2023 अवधि तक ताडफल निकालने केलिए मोहरबंद लिफाफे में टेंडर आमंत्रित किया जाता है। एचपीटी आकाशवाणी परिसर में लगभग 150 से अधिक ताडफलों के वृक्ष स्थित है। ताडफल खरीदी केलिए शुल्क के साथ टेंडर अधोहस्ताक्षरी के नाम भेजें उपरोक्त करार केलिए निविदाकार को रु.1000 / – ;रुपये एक हजार केवल की धनराशि बयाना के रुप में जमा करनी होगी । बयाना की राशि उन सभी निविदाकार को लौटा दी जाएगी जिनकी निविदा अधोहस्ताक्षरी द्वारा अस्विकृत किया हो। कोटेशन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 31.10.2022 दोपहर 12.00 बजे तक और दि .31.10.2022 को 3.30 बजे उपस्थित होने इच्छुक उन निविदाकारों की उपस्थिति में टेंडर खोला जाएगा ।धनराशि यदि संतोषजनक नहीं पाया गया तो उसी समय टेंडर की राशि बातचीत से तय किया जाएगा। सफल निविदाकार को करार प्राप्ति के पश्चात 3 दिन के भीतर तुरंत संपूर्ण धनराशि अदा करनी होगी, अन्यथा उनका टेंडर अस्विकृत किया जाएगा और वे बयाना की राशि खो देगें और अगले उच्च निविदाकार को अथवा कार्यालय अध्यक्ष द्वारा निर्णित निविदाकार को निविदा करार दिया जाएगा ।सफल निविदाकार सरकारी सम्पत्ती और किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाए बिना ताडफल निकालने एव आकाशवाणी परिसर से बाहर ले जाने हेतु परिवहन की व्यवस्था स्वयं के खर्चे / स्वयं की जिम्मेदारी पर करनी होगी। इस कार्यालय को कार्मिक का नाम पता सूचित करने के साथ कार्मिक का अपेक्षित पुलिस सत्यापन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना जरुरी है ।बिना किसी कारण कोई भी टेंडर को स्वीकृत / अस्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार कार्यालय अध्यक्ष को है। ट्रान्समीटर्स एरियल क्षेत्र में स्थित ताडवृक्ष से ताडफळ निकालने हेतु एरियल क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

जी एन खानझोडे 20.10/22
सहायक अभियंता
कृते उपमहानिदेशक(अभियांत्रिकी)
एच.पी.टी. आकाशवाणी
मलाड प मुंबई – 95

निबंधन तथा शर्ते

दि. 09–11–2023 के पूर्व ताडफल निकालके एचपीटी आकाशवाणी मलाड (प) मुंबई परिसर से बाहर निकालना होगा। अवधि समाप्ति के पष्चात किसी भी व्यक्ति को ताडफल निकालने हेतु आकाशवाणी के परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

1. उपमहानिदेशक अभियांत्रिकी के आदेश का उचित एवं कडा अनुपालन हो जिसमें किसी पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार का विधिवत्त हस्तक्षेप न हो। पुलिस सत्यापन के आधार पर इस कार्यालय के सुरक्षा अधिकारी द्वारा जिन श्रमिको को प्रवेश पत्र जारी किया हो इनके अलावा ठेकेदार किसी भी अनधिकृत/अन्जान व्यक्तियों को आकाशवाणी के परिसर में प्रवेश करने न दें।

2. सरकारी संपत्ती या आकाशवाणी परिसर में संस्थापित संपत्ती को लापरवाही के नुकसान पहुँचाने पर नुकसान भरपाई का निर्धारण उपमहानिदेशक अभियांत्रिकी करेंगें।

3. अधोहस्ताक्षरी को यह भी अधिकार है कि निबंधन तथा शर्तें के अनुशासन का उल्लंघन करने पर तथा सार्वजनिक सेवाहित में यदि आवश्यकता पडने पर किसी भी वक्त निविदा करार को समाप्त कर सकते हैं। इसीलिए ठेकेदार को इस बात का ध्यान रखना जरुरी है कि निविदा अवधि में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दर्शाए नए निबंधन तथा शर्तों का कडा अनुपालन करें। किसी भी प्रकार के वाद–विवाद के मामलों में उपमहानिदेश (अभियांत्रिकी) का निर्णय अतिंम रहेगा।

4. ताडफल निकालने के दौरान यदि किसी मजदूर को कोई भी नुकसान या दुर्घटना होती है, तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। यह कार्यालय किसी भी दुर्घटना हेतु जिम्मेदार नहीं होगा।

जीएनखानझोडे 20.10/22

जी एन खानझोडे
सहायक अभियंता
कृते उपमहानिदेशक(अभियांत्रिकी)
एच.पी.टी. आकाशवाणी
मलाड प मुंबई – 95